न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ पालानीचामी I.A.S.)

प्रकरण सं. 66 / 2020
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020 / 00156
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक ....

1. बत्तो देवी पुत्री सन्तोकी पत्नि मानसिंह जाति जाटव निवासी भदीरा हाल निवासी हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर
2. चन्द्रकला पुत्री सन्तोकी पत्नि साहबसिंह जाति जाटव निवासी भदीरा हाल निवासी हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर
3. दरबो देवी पुत्री सन्तोकी पत्नि छोटेलाल जाति जाटव निवासी भदीरा हाल निवासी वार्ड न. 10 तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. रामढकेली पुत्री सन्तोकी पत्नि चेतराम जाति जाटव निवासी भदीरा हाल निवासी वार्ड न. 10 तहसील नदबई जिला भरतपुर
5. पांची पुत्री सन्तोकी पत्नि फतेहसिंह जाति जाटव निवासी ललिता मूंढिया तहसील वैर जिला भरतपुर
6. मुक्ति देवी पुत्री सन्तोकी पत्नि बनयसिंह जाति जाटव निवासी ललिता मूंढिया तहसील वैर जिला भरतपुर
7. चमेली वेवा सन्तोकी जाति जाटव निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर

प्रार्थी

बनाम

1. मंगलसिंह पुत्र बुद्धी जाति जाटव निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. सबरजिस्ट्रार नदबई
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री महावीर प्रसाद (प्रार्थी की ओर से)
श्री परशुराम एड. (अप्रार्थी की ओर से)

निर्णय प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2023.02.13 13:04:48 IST
Reason: SelfAttested

1. यह है कि उपरोक्त [illegible] में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयावी की पूरी उम्मीद है।

Scanned with CamScanner

2. यह है कि विवादित आराजी खाता सं. 491 के आराजी खसरा न. 2506 रकवा 0.77, 2508 रकवा 0.17, 2509 रकवा 0.10, 2510 रकवा 0.08, 2511 रकवा 0.38, 2512 रकवा 0.44 किता 6 रकवा 1.94 है. वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई में स्थित है। जो सायलान की पैतृक आराजी है हाल जमाबंदी व साबिक रिकॉर्ड संलग्न है।

बुद्धि पुत्र शीशा मृतक							
सन्तोकी मृतक							मंगलसिंह
दरबो देवी पुत्री	रामढकेली पुत्री	पांची पुत्री	मुक्ति पुत्री	बत्तो पुत्री	चन्द्रकला पुत्री	चमेली पुत्री	–

3. यह कि सायलान सं. 1 लगायत 7 का मृतक सन्तोकी पिता व पति तथा सायलान का बाबा मृतक बुद्धि पुत्र शीशा था। विवादित आराजी मृतक बुद्धि से कर्ता खानदान होने के कारण सायलान के पिता व पति मृतक सन्तोकी को प्राप्त हुई थी। तथा सायलान सं. 1 लगायत 6 मृतक सन्तोकी की सगी पुत्री हैं तथा सायला सं. 7 मृतक सन्तोकी की वेवा है तथा प्रार्थना पत्र को समझने के लिये सायलान के परिवार सजरा नीचे दिया जा रहा है जो प्रार्थना पत्र को समझने में सहयोगी होगा :–

मुताबिक सजरा सायलान का पिता व पति मृतक सन्तोकी था मृतक बुद्धि सायलान का बाबा था तथा मृतक बृद्धि जमाबंदी सं. 2031 से 2034 के खाता 256 के साबिक खसरा न. 2152 रकवा 3 बीघा 1 बिस्वा, 2154 रकवा 13 बिस्वा, 2155 रकवा 8 बिस्वा , 2156 रकवा 6 बिस्वा, 2157 रकवा 1 बीघा 10 बिस्वा, व 2158 रकवा 1 बीघा 15 बिस्वा पर खातेदार दर्ज था। तथा कर्ता खानदान होने के कारण बुद्धि की मृत्यु के बाद विवादित आराजी विरासतन सायलान के पिता व पति मतक सन्तोकी को प्राप्त हुई थी इस प्रकार विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजी है तथा विवादित आराजी में सायलान का जन्म से ही हक व हिस्ससा निहित है। तथा मृतक सन्तोकी के नाम दर्ज विवादित आराजी में वादीगण सं. 1 लगायत 7 का 1/2 हिस्से में से प्रत्येक का 1/14, 1/14 हिस्सा पैतृक आधार पर है।

4. यह कि मृतक सन्तोकी का कोई पुत्र नहीं था इसलिये गैरसायल सं. 1 ने मृतक सन्तोकी को अपने बहकावे में लेकर व चिकनी चुपडी बातों में लेकर बिना कोई प्रतिफल दिये सन्तोकी से अपने हक में रिलीजडीड दिनांक 16.06.2004 रजिस्टर्ड करवा ली थी। जबकि मृतक सन्तोकी को पैतृक आराजी का गैरसायल सं. 1 के हक में कानूनन रिलीजडीड रजिस्टर्ड करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। क्योंकि विवादित आराजी मृतक होने के कारण सायलान का उसमें जन्म से ही हक व हिस्सा निहित था, तथा इस प्रकार मृतक सन्तोकी द्वारा गैरसायल सं. 1 के हक में रजिस्टर्ड कराई गई रिलीजडीड के कारण सायलान अपने हक व हिस्से से महरूम हो गई सायलान के पति व पिता की मृत्यु के बाद जब वह अपने नाम विरासत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2023.02.13 13:04:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दाखिल खारिज करने की कार्यवाही करने के लिये तैयार हुई तथा उन्होंने हाल जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो संपूर्ण आराजी की खातेदारी असल गैरसायल के नाम दर्ज होना पाया तो इसकी जानकारी करने पर सायलान को रिलीजडीड दिनांक 16.06.2004 को नल एण्ड वाईड कराने की अधिकारी हैं तथा हाल इन्द्राज को कलमजन कराकर मृतक सन्तोकी को विरासतन प्राप्त विवादित आराजी में से अपने नाम खातेदारी दर्ज करा पाने की अधिकारी है।

5. यह कि गैरसायलान ने दिनांक 17.08.2020 को वामुकाम भदीरा पर खुलेआम धमकी दी है कि विवादित आराजी की खातेदारी उसके नाम दर्ज वह विवादित आराजी के संपूर्ण हिस्से में से ईट भट्टा को मिट्टी विक्रय कर उसे खुदवायेगा तथा विवादित आराजी को रहनवयमुन्तकिल करके सायलान को उनके हिस्से से सदा सदा के लिये महरूम कर देगा। अगर गैरसायलान अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो सायलान को एक अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नहीं हो सकेगी। इसलिये सायलान गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं कि वह विवादित आराजी को ताफैसला वाद रहनवयमुन्तकिल नहीं करें व राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

6. यह कि बिनाय मुखास्मत यौम देने धमकी रहनवयमुन्तकिल करने दिनांक 17.08.2020 से वाद पैदा होकर सायलान को यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश करना पडा है।

7. यह कि प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन गैरसायलान के हक में न होकर सायलान के हक में बखूबी साबित होता है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण सायलान स्वीकार किया जकार गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह आराजी मुतनाजा वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी को ताफैसला वाद रहनवयमुन्तकिल नहीं करें व राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। विवादित आराजी में से मिट्टी नहीं खुदवायें।

8. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री परशुराम एड0 उपथित हुऐ, अप्रार्थी की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो निम्नानुसार है :-

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है।

2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित होना स्वीकार है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 [illegible] है, विवादित आराजी पैतृक थी जिस पर प्रार्थी गण के पिता संतोक मृतक [illegible] सिंह को खातेदारी होना स्वीकार है, लेकिन विवादित आराजी [illegible] मद सं. 2 वाद पत्र की आराजी को मृतक संतोकी द्वारा अपने सगे [illegible] की सेवा सुश्रषा से प्रसन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2023.02.13 13:04:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

होकर अप्रार्थी सं. 1 मंगल सिंह को रिलीज डीड करा दिया था क्योंकि मृतक अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अच्छी सेवा की गई थी तथा प्रार्थीगण अपने अपने सुसराल में चली गई तथा उन्होंने कभी मृतक संतोकी की परवरिश नहीं की अप्रार्थी सं. 1 जो कि मृतक संतोकी का सगा भाइ ळै। ने मृतक संतोकी की हारी बीमारी खान–पान रहन सहन दवाई दारू आदि सभी व्यवथा. की जिसके कारण मृतक संतोकी ने प्रसन्न होकर अपने सगे भाई को प्रार्थीगण की सहमति से विवादित आराजी दिनांक 16.06.2004 को एक रिलीज डीड पंजीबद्ध करा दी जिस पर स्वयं प्रार्थीयागण सं. 4 के पति चेतराम जो कि राजस्व विभाग में गिरदावर के पद पर कार्यरत थे। तथा राजस्व व रेवन्यू के बारे में पूर्णतया जानकार थे। के गवाह के रू॰ में हस्ताक्षर है, तथा उक्त रिलीजडीड के बारे में पूर्णतया वाफिककार थे, लेकिन अब प्रार्थीगण के मन में बदयांति आ गई है व प्रार्थीया सं. 3 का पुत्र नदबई अदालत में वकील के कार्य को करता है जिसके कारण वह षडयंत्र पूर्वक राशि ऐंठ कर तथा विवादित आराजी वर्णित चरण सं. वादपत्र की आराजी को हडपने की नयत से गल एवं बुबुनियादी तथ्यों के आधार पर उक्त वादपत्र व प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है जबकि उक्त विवादित आराजी का रिलीजडीड तारीख 16.06.2004 के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 के नाम खातेदारी काश्तकारी हो चुकी है। परन्तु अप्रार्थी सं. 1 को नाजायज तंग व परेशन करने की नीयत से व पैसा ऐंठने के लिये गलत तथ्यों के आधार पर उक्त वादपत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। दावा व प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निराधार तथ्यों के आधार पर आधारित हाने के कारण कबिल खारिजी के है। तथा प्रार्थीयागण किसी भी हिस्से पर अपना हक प्राप्त करनेकी अधिकारी नहीं है। अब प्रार्थीयागण का उक्त विवादित आराजी में कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है।

4. यह कि मद सं. 4 प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं है। सभी तथ्यों को प्रार्थीयागण द्वारा गलत एवं बेबुनियादी तथ्यों के आधार पर अंकित किया गया है। विवादित आराजी की रिलीज डीड मृतक संतोकी ने अप्रार्थी सं. के हक में दिनांक 16.06.2004 को सेवा से प्रसन्न होकर करवाई थी तथा रिलीज डीड में सेवा आदि व अपने खूनी रिश्ते के आधार पर बिना किसी प्रतिफल राशि के लेन देन के ही रिलीज डीड तहरीर व तस्दीक की जाती है। उसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2023.02.13 13:04:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मृतक संतोकी ने अप्रार्थी सं. 1 की सेवा से प्रसन्न होकर अप्रार्थी सं. 1 के हक में रिलीज डीड कराई थी। जिसका वाहिदइन्द्राजता खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 के हक में हो गया है। अब प्रार्थीयागण का उक्त विवादित आराजी में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। प्रार्थीयागण द्वारा महज अप्रार्थी सं. को तंग व परेशान करने की गरज से व राशि हडपने की बदयांति से उक्त वादपत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है। अन्यथा रिलीजडीड को कैंसिल करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही है। रेवेन्यू न्यायालय में रिलीजडीड कैंसिल नहीं की जा सकती है यदि प्रार्थीयागण अपने हक में खातेदारी काश्तकारी करानी ही है तो पहले प्रार्थीयागण को सिविल न्यायालय में प्रार्थना पत्र व वादपत्र पेशकर रिलीज डीड तारीख 16. 06.2004 को कैंसिल करवाना चाहिये था रेवेन्यू अदालत को उक्त रिलीज डीड तारीख 16.06.2004 को कैंसिल करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। तथा मामला सिविल नेचर का है ऐसी स्थिति में प्रार्थीयागण अपने हक में कोई खातेदारी काश्तकारी प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। दावा वादिनीगण काबिल खारिजी के है व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

5. यह कि मद सं. 5 प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं है अप्रार्थीगण सं. 1 ने प्रार्थीयागण को कोइ किसी प्रकार की एलानियां धमकी नहीं दी है जबकि प्रार्थीयागण का विवादित आराजी में कोई हक व हिस्सा ही निहित नहीं है। तथा प्रार्थीयागण के पिता संताकी द्वारा पूर्व में ही अप्रार्थी सं. 1 के नाम उसकी सेवा से प्रस्न्न होकर प्रार्थीयागण की पूर्ण सहमति से रिलीज डीड करा दी है तो अब विवादित आराजी जिसकी खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 के नाम हो चुकी है से प्रार्थीगण को कोई संबंध सरोकार नहीं है तो अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थीयागण को धमकी देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिये प्रार्थीयागण को कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है। इसलिये प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है।

6. यह कि मद सं. 6 स्वीकार नहीं है।

7. यह कि मद सं. 7 स्वीकार नहीं है।

8. यह कि विवादित आराजी को मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी का मृतक संतोकी द्वारा प्रार्थी सं. 1 की सेवा से प्रसन्न होकर दिनांक 16.06.2004 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2023.02.13 13:04:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी सं. के हक में रिलीज डीड तहरीर करा दी थी क्योंकि मृतक संतोकी अप्रार्थी सं. 1 की सेवा से उसकी खान पान हारी बीमारी रहन सहन से प्रसनन हो गया तथा अप्रार्थी सं. 1 के हक में जब मृतक संतोकी द्वारा रिलीजडीड तारीख 16.06.2004 को तहरीर कराई थी व सबरजिस्टार महोदय नदबई केसमक्ष तस्दीक कराई थी तो इसमें स्वयं प्रार्थीयागण की पूर्ण सहमति थी क्योंकि उक्त रिलीजडीड पर प्राथीया सं. 4 के पति चेतराम जो कि तहसील परिसर में रेवेन्यू विभाग में गिरदावर पद पर कार्यरत था तथा संपूर्ण रेवेन्यू प्रक्रिया के बारे में भली भांति जानकार था। तथा उनके उक्त रिलीज डीड पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर है लेकिन अब प्रार्थीयागण के मन में बदयांति आ गई है तथा वह अप्रार्थी सं. को नाजायज तंग व परेशान करने की गरज से व अप्रार्थी से भारी रंजिश रखते हुये राशि हडपने के उद्धेश्य से उक्त उनवानी वादपत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, क्योंकि प्रार्थया सं. 3 का पुत्र न्यायालय परिसर नदबई में वकील है तथा वह कानूनीपेचिदगीयो से अप्रार्थी सं. 1 को अटका कर राशि ऐंठना चाहता है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

9. यह कि विवादित आराजी मद सं. प्रार्थना पत्र की आराजी पर अब रिलीज डीड तारीख 16.06.2004 के आधार पर अप्रार्थी सं. के नाम वाहिद इन्द्राजात खातेदारी हो चुके हैं, तथा वावक्त रिलीज डीड से ही प्रार्थी सं. शेष अस्वीकार है। प्रतिवादी अप्रार्थी का खातेदार व काबिज स्वीकार है, तथा प्रार्थी का संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य नहीं है तथा जन्म से ही ग्राम आजऊ तहसील कुम्हेर में रहता है तथा विवादित आराजी के किसी भी हिस्से पर अपने आप को खातेदार घोषित करा पाने का अधिकारी नहीं है।

10. यह है कि प्रार्थीगण को अगर दावा लाना था तो उक्त रिलीज डीड को कैंसिल कराने हेतु सिवल न्यायालय में सिविल नेचर का लाना चाहिये था रेवेन्यू अदालत को रिलीज डीड को कैंसिल करने के अधिकार प्राप्त नहीं है। दावा व प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण दावा व प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2023.02.13 16:04:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संबत 2073–76 वाके ग्राम भदीरा, नकल जमाबंदी संबत 2061–64 वाके ग्राम

Scanned with CamScanner

भदीरा, नकल जमाबंदी संबत 2031–34 वाके ग्राम भदीरा, मिलान क्षेत्रफल संबत 2060, वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई पेश की गई।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में किसी प्रकार के मौखिक व लिखित दस्तावेजात पेश नहीं किये गये।

हमने उभयपक्षकारान के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के विद्वान वकील की प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि :–

1.<u>**प्राईमाफेसी केस**</u>– प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए के तहत खातेदारी घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी मद सं. 2 वाके ग्राम भदीरा के बाबत प्रार्थीगण द्वारा आराजी को पैतृक संपत्ति बताकर वाद पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2073–76 में विवादित आराजी खसरा नम्बरान पर मंगल पुत्र बुद्धी हिस्सा पूर्ण जाति जाटव निवासी भदीरा की खातेदारी का अंकन हो रखा है, तथा नकल जमाबंदी संबत 2061–64 के खसरा नम्बरान पर संतोकी व मंगल पुत्र बुद्धी की खातेदारी का अंकन हो रहा है। इसके आगे इंतकाल सं. 80 से रिलीज डीड से संतोकी पुत्र बुद्धी के स्थान पर मंगल पुत्र बुद्धी जाति जाटव का अंकन हुआ है, तथा नकल जमाबंदी संबत 2031–34 में के खाता सं. 256 पर बुद्धी पुत्र शीशा की खातेदारी का अंकन हो रहा है। यानि कि संबत 2034 में उक्त आराजी प्रार्थीगण के मृतक बाबा के नाम आराजी रही है। वादी/प्रार्थी द्वारा उक्त पैतृक आराजी बताई गई है। परंतु पैतृक आराजी कानूनन हिन्दू विधि पैतृक संपत्ति संयुक्त परिवार की अविभाजित आराजी होनी चाहिये वादीगण/प्रार्थीगण के पिता संतोकी को वादीगण के मृतक बाबा बुद्धी से प्राप्त हुई है। उक्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 के बाबा को प्राप्त हुई है। इस प्रकार लगता है कि अविभाजित आराजी तीन पीढीयों को भी पैतृक संपत्ति का दर्जा दिया गया है। वादीगण/प्रार्थीगण को उक्त आराजी आ[illegible] बाबा बुद्धी को किस प्रकार प्राप्त हुई है इस प्रकार का कोई दस्तावेजात [illegible] नहीं किया गया है जिससे साबित होता है कि उक्त [illegible] पैतृक संपत्ति है। इसके अलावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2023.02.13 13:04:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी सं 1 मंगलसिंह के नाम रिलीज डीड वादीगण/प्रार्थीगण के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक ....को की गई उस पर वादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई आपत्ति वक्त रिलीज संतोकी के द्वारा कोई आज तक करना प्रतीत नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त रिलीज डीड सबरजिस्ट्रार के समक्ष विधि अनुसार स्टाम्प शुल्क संलग्न कर मय फोटो एवं गवाहों के फोटोसहित हस्ताक्षरयुक्त सबरजिस्ट्रार के समक्ष पेश की गई। उस रिलीज डीड पर वादीगण के पिता के भी हस्ताक्षर हैं उक्त रिलीज पर संदेह किया जाना प्रतीत नहीं होता है। रजिस्टर्ड दस्तावेजात को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है न कि राजस्व न्यायालय को उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेजातों के आधार पर तथा दर्ज इन्द्राजातों को इस स्टेज पर एक खातेदार की हैसियत से स्थापित खातेदार को उसके खातेदारी अधिकारों से महरूम नहीं किया जाना उचित है। उपरोक्त दस्तावेजी अवलोकन से प्रार्थीगण का प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में साबित नहीं होता है।

2. <u>सुविधा का सतुलन</u> –सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादी स. 1 मंगलसिंह के हक में है तथा वर्तमान में रिकॉर्ड खातेदार है। अत सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के हक में साबित है।

3. <u>अपूर्ण क्षति</u> – प्रतिवादी एक रिकॉर्ड खातेदार है अगर उक्त स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है तो अपने खातेदारी अधिकरो का कुठार घात होगा जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अस्वीकार किया जाकर जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 25.08.2020 को खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक .... को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2023.02.13 13:04:48 IST
Reason: SelfAttested

(सिद्धार्थ पालानीचामी I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी,नदबई

Scanned with CamScanner